# न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–12/2012–13

**राम सकल सिंह** बनाम **देवनंदन सिंह एवं अन्य**

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–13/2012–13

**संजय कुमार सिंह एवं अन्य** बनाम **देवनंदन सिंह एवं अन्य**

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–14/2012–13

**प्रमोद कुमार सिंह एवं अन्य** बनाम **देवनंदन सिंह एवं अन्य**

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–15/2012–13

**प्रेम कुमार सिंह** बनाम **देवनंदन सिंह एवं अन्य**

(Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

| आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 20/9/18 | **आदेश**<br>यह पुनरीक्षण वाद दाखिल खारिज अपील वाद सं0 21/2010–11, 22/10–11, 24/10–11 एवं 25/10–11 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा दिनांक–29.11.2011 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। चारों अपील वाद में विवादित भूखण्ड एक ही खाता खेसरा की रहने के कारण भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा सभी अपील वादों की एक साथ सुनवाई कर संयुक्त रूप से एक ही आदेश पारित किया गया।<br>इस न्यायालय में दायर चारों पुनरीक्षण वाद में विपक्षी देवनंदन सिंह, पिता स्व0 रिषल सिंह वो अजीत कुमार सिंह पिता स्व0 जगदयाल सिंह है। इस न्यायालय में वादों के पंजीकृत होने के पश्चात सभी वादों में विपक्षी उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा सभी वादों में लिखित प्रति उतर दाखिल किया गया। तत्पश्चात् विपक्षी की लगातार अनुपस्थिति के कारण दिनांक–20.09.2018 को एक पक्षीय सुनवाई कर आदेश पर रखा गया।<br>**आवेदकगण का कहना है कि**<br>(1) उन्हें बंटवारा में मिली जमीन के दाखिल खारिज के लिए अंचलाधिकारी, सम्पतचक को आवेदन दिया गया। अंचलाधिकारी, सम्पतचक के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{2194}{3}$ वर्ष 2009–10, $\frac{2195}{3}$ वर्ष 2009–10, $\frac{2196}{3}$ वर्ष 2009–10 एवं $\frac{2197}{3}$ वर्ष 2009–10 के अन्तर्गत राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त कर दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी।<br>(2) उपर्युक्त दाखिल खारिज वादों में अंचलाधिकारी, सम्पतचक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध विपक्षी के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0 21/2010–11, 22/10–11, 24/10–11 एवं 25/10–11 दायर किया गया।<br>(3) भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए अपील स्वीकार कर ली गयी। | |

(4) भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 21/2010–11, 22/10–11, 24/10–11 एवं 25/10–11 में संयुक्त रूप से दिनांक 29.11.2011 को पारित आदेश को अवैध बताते हुए निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के द्वारा दायर प्रतिउत्तर में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा चारों अपील वाद में पारित आदेश को पूर्णतः विधि सम्मत बताते हुए पुनरीक्षण आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

पुनरीक्षण वाद में इस न्यायालय को यह देखना है कि निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश नियमानुसार है अथवा नहीं?

चारों अपील वाद में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 29.11.2011 को पारित आदेश में यह निर्णय है कि विपक्षी के द्वारा वर्ष 1988–89 में प्रश्नगत भूखण्ड के कराये गये दाखिल खारिज वाद सं0 3141/10 वर्ष 1988–89 के विरूद्ध समाहर्ता, पटना के न्यायालय में पुनरीक्षण वाद सं0 39/1993–94 लम्बित है। उक्त वाद के लंबित रहते पुनः उसी भूखण्ड का दाखिल खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। इसी आधार पर भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{2194}{3}$ वर्ष 2009–10 एवं अन्य में पारित अंचलाधिकारी, सम्पतचक के आदेशों को रद्द करते हुए जमाबंदी को पूर्ववत कायम रखने का आदेश दिया गया। समाहर्ता, पटना के न्यायालय में रिवीजन वाद सं0 39/1993–94 में न्याय निर्णय के पश्चात पुनः तदनुसार कार्रवाई की जायेगी।

पुनरीक्षण वाद के आवेदकगण के द्वारा इस न्यायालय में रिवीजन वाद सं0 39/1993–94 के निष्पादित होने का कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है।

उपर्युक्त परिस्थिति में मैं अपील वाद सं0 21/2010–11 एवं अन्य में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के दिनांक 29.11.2011 को पारित आदेश से सहमत हूँ तथा उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता हूँ।

पुनरीक्षण वाद सं0 12/2012–13, 13/12–13, 14/12–13 एवं 15/12–13 के आवेदन अस्वीकृत किये जाते है।

**लेखापित एवं संशोधित।**

30/9/16

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना

30/9/16

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना